

# भारत अगले वर्ष लद्दाख अथवा कश्मीर में जी-20 समिट आयोजित करेगा?

## चीन और पाकिस्तान लद्दाख में जी-20 मीटिंग कराए जाने पर कड़ा ऐतराज जता रहे हैं

नई दिल्ली, 7 जुलाई। अगले साल जी-20 की मीटिंग के एक हिस्सा का आयोजन लद्दाख में भी हो सकता है। भारत जी-20 की बैठकों के लिए नर्सिफ जम्मू-कश्मीर बल्कि लद्दाख को भी संभावित वैश्विक के तौर पर देख रहा है। इसे भारत की तरफ से चीन को सख्त और दो टुक संदेश के तौर पर देखा जा सकता है। चीन ने जम्मू-कश्मीर में जी-20 मीटिंग कराए जाने को लेकर ऐतराज किया है। खास बात यह है कि अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर के दो केंद्रशासित प्रदेशों-जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के तौर पर बंटवारे के बाद यहाँ पहली बार कोई अन्तर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन होगा।

भारत 2023 में होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन से पहले समूह की कई बैठकों की मेजबानी करेगा। इसके लिए कई वैश्विक पर विचार किया जा रहा है,

■ **भारत के इस कदम को, चीन को उसी की भाषा में जवाब देने का एक तरीका माना जा रहा है। दरअसल भारत का मानना है कि, चीन भी भारत के हितों की कभी परवाह नहीं करता इसलिए भारत को भी चीन की भावनाओं और हितों की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है।**

जिनमें जम्मू-कश्मीर भी शामिल है। चीन और पाकिस्तान ने लद्दाख में जी-20 समिट आयोजित करने के कदम का विरोध किया है। भारत ने अगले वर्ष जी-20 शिखर सम्मेलन का आयोजन जम्मू कश्मीर अथवा लद्दाख में किये जाने संबंधी रिपोर्ट पर चीन एवं पाकिस्तान की आपत्तियों को आज दरकिनार कर दिया।

विदेश मंत्रालय में प्रवक्ता अरिंदम बागची ने यहां नियमित ब्रीफिंग में इस

दलाई लामा को फोन किया और उनके जन्मदिन की बधाई दी।

इसे प्रधानमंत्री की तरफ से सामान्य शिष्टाचार का प्रदर्शन नहीं माना जाना चाहिए। पी.एन. ने पिछले वर्ष से ही दलाई लामा की बधाई देना शुरू किया है। एक तो तिब्बती आध्यात्मिक गुरु को फोन करने और ऊपर से इसकी सार्वजनिक घोषणा करने के पीछे मकसद चीन की दुखती रग को छेड़ना ही है। चीन दलाई लामा को अलगाववादी मानता है। इस कारण एल.ए.सी. पर तनाव के बाद से भारत सरकार दलाई लामा से सार्वजनिक संपर्क साधने से बचती रही है। लेकिन जब चीन ने पारस्परिक संवेदनाओं, एक-दूसरे के हितों और चिंताओं की परवाह नहीं की तो भारत उसे उसकी भाषा में जवाब देना लाजिमी समझ रहा है।

# प्रदेश के आधे से ज्यादा जिलों में फिर करोना संक्रमण फैला

## राज्य में गुरुवार को 20 जिलों में 154 नए संक्रमित मिले हैं

जयपुर, 7 जुलाई। प्रदेश में तीसरी लहर के बाद फिर करोना संक्रमण आधे से ज्यादा जिलों में फैल गया है। इसके चलते गुरुवार को राज्य के 20 जिलों में 154 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं राज्य में एक मरीज की मौत भी हुई है। इस बीच प्रदेश में रिकवरी कम होने से एक्टिव केस बढ़कर साढ़े नौ सौ के करीब पहुंच गए हैं।

प्रदेश में गुरुवार को 154 नए संक्रमित सामने आए हैं। इससे पहले बुधवार को 164 रोगी पाए गए थे। इधर राजधानी में थोड़ी गिरावट के बाद 47 नए मरीज मिले हैं। इसके अलावा जोधपुर में 27, बीकानेर, 16, अजमेर 11, अलवर 9, भीलवाड़ा 7, सिराही 6, उदयपुर व नागौर में 5-5, दौसा 4, हनुमानगढ़ व टोंक में 3-3, राजसमंद, चूरू व बाड़मेर में 2-2 तथा भरतपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, गंगानगर और झालावाड़ में 1-1 नया संक्रमित मिला है। वहीं 13 जिलों बांसवाड़ा, बारां, बूंदी, धौलपुर, जैसलमेर, जालौर,

■ **सबसे ज्यादा 47 नए मरीज जयपुर में मिले हैं।**

■ **प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों में करोना से एक मरीज की मौत हो गई है, जबकि एक्टिव केस बढ़कर 945 हो गए हैं।**

सुंशुनू, करौली, कोटा, पाली, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर और सीकर में कोई भी नया संक्रमित नहीं मिला है। प्रदेश में गुरुवार को भी रिकवरी में कमी आई है। इस दौरान राज्य में 120 मरीज ठीक हुए हैं।

इसके साथ ही एक्टिव केस बढ़कर 945 हो गए हैं। राजधानी जयपुर में सबसे ज्यादा 363 रोगियों का इलाज चल रहा है। वहीं जोधपुर में 142 जबकि बीकानेर में 104 एक्टिव केस

## हाई कोर्ट ने रिट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) कोऑर्डिनेटर' घोषित किया गया था और प्रदीप पाराशर ने 2011, 12, 15 और 19 में परीक्षा आयोजित करने का अनुभव हासिल कर लिया था। इस पर ए.बी.वी.पी. के वकील ने कहा कि, पिछले वर्षों में प्राइवेट पार्टी को जयपुर में कोऑर्डिनेटर घोषित किये जाने से गलत को सही कैसे साबित नहीं किया जा सकता है। जयपुर के अलावा सभी जिलों में ए.डी.एम. ही कोऑर्डिनेटर थे।

अदालत ने एस.ओ. जी. की जांच में संतुष्ट होते हुए कहा कि वह केवल आरोपी की तर्ज पर जांच को दिशा नहीं दे सकती है। उन्होंने कहा कि एस.ओ. जी. ने इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया है और आगे भी करेगी। अदालत ने पेपर लीक मामले में एस.ओ. जी. को स्वतः जांच जारी करने के आदेश दिये और कहा कि वह इस मामले में सारी जांच को दिशा देने के लिए आदेश नहीं देगी। अदालत ने कहा कि अगर इस मामले में कोई नया तथ्य सामने आता है, तो वह उसे जरूर सुनेगी। एस.ओ. जी. द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को अदालत ने बंद लिफाफे में रिकॉर्ड पर लिया है और साथ ही डी.पी. जारोली से पृष्ठताछ के दौरान दिये गये बयान को भी रिकॉर्ड पर ले लिया है। भर्ती-2011 लैवल-1 को भी खारिज करने से संबंधित कई अन्य मामलों को अदालत ने 25 तारीख को सुनने का फैसला किया है। ए.बी.वी.पी. के वकील आयुष मल ने कहा कि उनके द्वारा दायर याचिका से अदालत से प्रार्थना की गई थी की वह मामला सी.बी.आई. जांच के लिए दिया जाए और साथ ही रिट भर्ती 2021 लैवल-1 परीक्षा को भी रद्द कर दिया जाये, जिसमें सरकार कई नियुक्तियां कर चुकी है। उन्होंने कहा कि 25 तारीख के बाद वे अदालत के सी.बी.आई. को जांच नहीं सौंपने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका पेश करेंगे।

# बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा देने का...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) के आम चुनाव में अपनी पार्टी को जबरदस्त बहुमत दिलाया था तथा जिसने अभी पिछले महीने ही कहा था कि उनका इरादा 2030 के दशक में भी इस पद पर अपनी सेवाएं देने का है, वह अन्त बड़ी बदनामी वाला अंत है।

अभी पिछले सप्ताह ही, जॉनसन मैड्रिड के नाटो सम्मेलन के समापन भाषण की तैयारी कर रहे थे। वे इस आठ दिन तक चले सम्मेलन के बाद, बड़े उत्साहपूर्वक पूर्ण प्रसन्न नजर आ रहे थे। उन्होंने उनके साथ यात्रा कर रहे पत्रकारों द्वारा उनकी धरतु अनबन के बारे में पूछे गये प्रश्नों की अनदेखी कर दी थी तथा कहा था कि इस समय उनका पूरा ध्यान रूस-यूक्रेन युद्ध में, यूक्रेन को सहयोग उपलब्ध करने की कोशिशों पर है।

वे स्वयं की छवि को कैसले

ताकतवर वैश्विक नेता के रूप में प्रस्तुत करना चाहते थे, जो दबंग लोगों का सामना करना तथा जरूरतमंद लोगों की मदद करना चाहता है।

कन्जर्वेटिव पार्टी का क्रोध पिछले सप्ताह उस समय बहुत बढ़ गया, जब प्रधानमंत्री ने एक सांसद, क्रिस पिंचर को फरवरी में सरकार में एक वरिष्ठ पद दे दिया, जबकि 2019 में उसके अनुचित व्यवहार के लेकर एक विधि शिकायत दर्ज की जा चुकी थी। पिंचर के बारे में तथा उसके व्यवहार के बारे में सब जानते हुये, उनका पद बदले जाने से प्रधानमंत्री की ईमानदारी तथा न्यायप्रियत के बारे में नये-नये सवाल उठने लगे। फरवरी 2020 में, जॉनसन ने सुनक को चांसलर ऑफ एक्सचेंजर नियुक्त कर दिया था, जो केबिनेट में उनका प्रथम पूर्ण पद था।

सुनक पूर्ण डिफेंस सेंक्रेटरी पेनी मॉडेंट तथा फॉरेन सेंक्रेटरी सेंक्रेटरी लिज टूस-दोनों की संयुक्त पसंद हैं। जहाँ पेनी मॉडेंट महामारी-काल में बहुत लोकप्रिय हो गये थे क्योंकि व्यवसायों तथा श्रमिकों की मदद के लिये 10 अरब पाउंड जैसी बहुत बड़ी रकम की व्यवस्था की थी, वहीं लिज टूस सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी के जमीनी नेताओं के पसंदीदा व्यक्ति हैं तथा वैबसाइट "कन्जर्वेटिव होम" द्वारा किये गये पार्टी सदस्यों के सर्वे में लगातार शीर्ष पर रहे हैं।

सुनक, जिनका निक-नेम "डिशा" ऋषि है, अपनी पत्नी के नॉम-डॉम-टैक्स स्ट्रेट्स उनके स्वयं के अमेरिकन ग्रीन कार्ड को लेकर स्वयं को थोड़ा पीछे महसूस कर रहे थे। इसके अलावा, उनके बारे में यह आमधारणा भी की थी

कि वे ब्रिटेन के कॉन्स्ट ऑफ लिंविंग संकट पर प्रतिक्रिया देने में बहुत समय लगाते हैं।

मदिरा-सेवन नहीं करने वाले सुनक पर कोविड लॉकडाउन का विरोध करने तथा डाउनिंग स्ट्रीट सभा में भाग लेने के कारण जुर्माना भी हुआ था। ऋषि सुनक के दादा-दारी पंजाब से इंग्लैंड गये थे। उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति इन्फोसिस के संस्थापक एन.आर. नारायणमूर्ति की पुत्री हैं तथा ऋषि एवं अक्षता दो पुत्रियों के माता-पिता हैं। ऋषि और अक्षता की मुलाकात विद्यार्थी जीवन कैलिफोर्निया में हुई थी।

ब्रिटिश प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल अन्य दावेदार हैं- पूर्व विदेश सचिव जैरमी हंट, रक्षा मंत्री बेन वालेस, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री साजिद जावद तथा वित्त मंत्री नदीम जहावी।

## ठाणे नगर निगम के 67 में से 66 पाषर्दों ने शिंदे गृह जॉइन किया

मुंबई, 7 जुलाई। उद्धव ठाकरे के हाथ से महाराष्ट्र की सत्ता गई, फिर सामने आई पार्टी बचाने की चुनौती। अब उनके लिए अपना गढ़ भी बचाना नामुमकिन हो गया है।

एकनाथ शिंदे के महाराष्ट्र की सत्ता संभालने के दो दिन के अंदर ही ठाणे भी उद्धव ठाकरे के हाथ से निकल गया है। महानगरपालिका के 66 पार्षद एकनाथ शिंदे के साथ खुलकर आ गए हैं। इन पार्षदों ने शिंदे से मुलाकात की और इसके बाद ऐलान किया कि वो शिवसेना के शिंदे खेमे का समर्थन कर रहे हैं। पार्षदों के साथ मुख्यमंत्री शिंदे की कई तस्वीरें भी सामने आई हैं।

ठाणे को एकनाथ शिंदे का गढ़ माना जाता है। यहीं से उन्होंने आनंददिघे के संपर्क में रहकर सियासत सीखी और पहली बार 1997 में शिवसेना के पार्षद बने।

अब शिवसेना के उद्धव ठाकरे खेमे का ठाणे पर से भी कब्जा छूट गया है। महानगरपालिका में 67 पार्षद हैं। अब 66 के शिंदे कैम्प में जाने के बाद सिर्फ एक पार्षद ही उद्धव खेमे में बचा है।

# करौली में दुकानदार व खरीददार के बीच मारपीट: बाजार में भगदड़ मची

## बाजार बंद हुए, स्कूलों में बच्चों की छुट्टी हुई

■ **शहर में चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात।**

करौली, 7 जुलाई (निसं.)। एक समुदाय के युवकों और एक दुकानदार के बीच खरीदारी को लेकर हुई मारपीट से शहर के बाजारों में भगदड़ सी मच गई। मारपीट में दुकानदार पक्ष के दो जने घायल हो गए। जिनका सामान्य चिकित्सालय में उपचार चल रहा है लेकिन झगड़े और भगदड़ की सूचना पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत मौके पर पहुंचकर दुकानें खुलवाई शहर में चप्पे-चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए और पुलिस ने दिनभर पलंग मार्च किया।

मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को प्रातः 11:30 बजे के करीब शहर के भूडारा बाजार स्थित एक वर्ग की दुकान पर दूसरे समुदाय के तीन चार जने लोहे का फावड़ा आदि सामान खरीदने आए। उसी दौरान दोनों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और बात मारपीट तक पहुंच गई। एक समुदाय के लोगों और दुकानदार के बीच जमकर मारपीट हुई जिसमें दुकानदार भसीम

पुत्र रफीक और उसका पिता रफीक चोट लगने से लहलुहान हो गए। उधर दोनों पक्षों के बीच हुए झगड़े से बाजार में एक साथ भगदड़ सी मच गई और पूरे शहर की दुकानें बंद हो गईं। शहर के बाजार बंद की सूचना पर सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में भी बच्चों की छुट्टी कर दी। स्कूलों से बालकों को लाने के लिए अभिभावकों में हड़बड़ी मच गई।

इधर जिला कलैक्टर अंकित कुमार सिंह और जिला पुलिस अधीक्षक नारायण टोपस को घटना की सूचना मिलते ही दोनों ही अधिकारी तत्परता से पुलिस बल के साथ शहर के बाजारों में पहुंच गए और घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। पूरे शहर में पैदल एवं वाहनों से घूम कर बाजारों को खोलने की दुकानदारों से अपील की गई। इसके अलावा

अफवाओं पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं देने और शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। कोतवाली थाना अधिकारी दिनेश चंद्र मीणा व कई थाना अधिकारी भारी पुलिस बलके के साथ शहर में पहुंच गए। पुलिस अधीक्षक के निदेशानुसार गठित जिला स्पेशल टीम ने 3 लोगों को हिरासत में लिया बाकी लोगों की पुलिस तलाश में जुटी है। इसके उपरान्त जिला कलैक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक अस्पताल पहुंचे जहां उन्होंने घायलों की कुशलक्षेम पूछते हुए प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. पूरणमल वर्मा से बात की। उधर झगड़े में घायल रफीक पुत्र बशीर और जिला पुलिस अधीक्षक जनों के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज कराया है।

ज्ञात रहे कि गत 2 अप्रैल को हुए सांप्रदायिक तनाव के बाद शहर में शांति-पहल शुरू हुई मगर गुरुवार को दुकानदार और खरीददारों के बीच हुए छोटों से झगड़े से शहर का माहौल एक साथ अफवाहों में बदल गया।

## संयुक्त ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) के दस महीने बाद भी अजय मिश्रा टेनी को निलंबितपूर्वक केन्द्रीय मन्त्रियमंडल में रखे जाने का भी विरोध कर रहा है।

एस.के.एम. द्वारा घोषित विरोध प्रदर्शनों में शामिल हैं-अनिपुण भर्ती योजना के खिलाफ 7 से 14 अगस्त तक पूरे देश में "जय जवान, जय किसान" सम्मेलन, एम.एस.पी. की गारंटी के विश्वासघात के खिलाफ 500 जिलों में "चक्का जाम" तथा किसान हत्याकांड को लेकर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बर्खास्त किये जाने से सरकार के इनकार के खिलाफ लखीमपूर खीरी में 18 से 20 अगस्त तक 75 घंटे का विशाल धरना।

## राजनाथ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) उपस्थित रहने की सम्भावना है। एक अन्य प्रैस-विज्ञापि में, रक्षा मन्त्रालय ने का है कि सेना भर्ती कार्यालय मुम्बई 20 सितम्बर से 10 अक्टूबर तक थाणे जिले के मुम्ब्रा नामक स्थान पर सैन्य भर्ती करेगा। यह भर्ती कौसा वैली के अब्दुल कलाम अजाद स्टेजियम में होगी।

विज्ञापि में कहा गया है कि तीन सप्ताह तक चलने वाली इस भर्ती प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य महाराष्ट्र के युवाओं के लिये रोजगार सृजित करना, उन्हे भारतीय सेना के हिस्से के रूप में, मातृभूमि की सेवा करने का सुअवसर उपलब्ध कराना तथा उन्हें एक गरिमापूर्ण जीवन बिताने का अवसर देना है।

# सांसद महुआ मोड़त्रा के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया

## जैसा कि विदित है कि, सांसद महुआ मोड़त्रा ने स्वयं को मां काली का भक्त बताते हुये कहा था कि, काली माता मांसाहारी हैं व मद्यपान भी करती हैं

नई दिल्ली, 7 जुलाई (वार्ता)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की दिल्ली इकाई ने तुषमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोड़त्रा के विरुद्ध देवी काली मां के बारे में टेलीविजन पर चर्चा के दौरान कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर दिल्ली पुलिस में गुरुवार को शिकायत दर्ज कराई।

दिल्ली भाजपा के उपाध्यक्ष राजन तिवारी और प्रवक्ता हरीश खुराना ने नई दिल्ली जिला के पुलिस उपायुक्त के समक्ष तीन पृष्ठों के शिकायती पत्र के साथ फिल्म निर्माता लीना मणिमैकलाई के खिलाफ लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़काने के इरादे से बयान देने, शब्दों और चित्रों के माध्यम से किसी धर्म, जाति, भाषाई या क्षेत्रीय समूह के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण बात करने और लोगों की धार्मिक आस्थाओं का अपमान करने का आरोप लगाते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 295, 505 (2), 509, 153 (ख) और 120 ख के तहत संसद मार्ग थाने में मामला दर्ज कर, दोनों के खिलाफ कार्रवाई का आग्रह किया है।

■ **इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने "काली" फिल्म की निर्माता लीना मणिमैकलाई के खिलाफ भी धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला दर्ज किया है।**

शिकायत में भाजपा के नेताओं ने दोनों के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम धारा 66 और 67 के तहत ही लोगों की भावनाएं भड़काने के आरोप में कार्रवाई किए जाने की मांग की है। उन्होंने शिकायती पत्र के साथ देवी काली पर लीना मणिमैकलाई द्वारा निर्मित वृत्त चित्र के प्रचार सामग्री (पोस्टर) का उस पृष्ठ की छायाचित्र भी पुलिस को दी है जिसमें काली मां का आपत्तिजनक चित्र भी शामिल है।

भाजपा नेताओं ने कहा है कि लीना नामक महिला की काली मां के इस तरह के चित्रण पर व्यापक निंदा हो रही है। शिकायती पत्र में यह भी कहा गया है कि आजकल बहुत से उग्रग्रंथी संगठनों

आरोप लगाया गया था कि सेवानिवृत्त बाद की नौकरियों में अनिवार्य कूलिंग ऑफ पीरियड के सरकारी नियमों का उल्लंघन कर अनिहोत्रि व अन्य अधिकारियों को लेन-देन कर एन.ई.सी.एल. में हद से अधिक वेतन और सुविधाएं दी गई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि जब उनके पुत्र एक अलग प्राइवेट फर्म में नौकरी में थे तब अनिहोत्रि व रिश्वत के रूप में "वाइट" में भारी धन राशि ली, जबकि उक्त दोनों ही कंपनियां आर.वी. एन.एल. की कन्सल्टेंट के रूप में कार्यरत थीं।

अन्य आरोपों में कहा गया कि अनिहोत्रि ने अपनी पुत्री की एन.ई.सी.एल. में नौकरी लगावा दी और स्वयं के एन.ई.सी.एल. छोड़कर प्रबंध निदेशक के रूप में एन.एच.एस.आर. सी. एल. जॉइन करने के बावजूद निजी कंपनी से आवास सुविधा व अन्य लाभ जारी रखे।

शिकायतकर्ता ने दोनों अधिकारियों पर परफोर्मेंस रिलेटेड प (पी.आर.पी.) में जोड़-तोड़ के आरोप भी लगाए। पी.आर.पी. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में प्रपेज्य है। इसके परिणामस्वरूप उन्होंने एक करोड़ रूपए से अधिक की राशि ली। लोकपाल बैंच ने अपने आदेश में डी.पी.ई. से अनुरोध किया कि वह निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए अपनी पी.आर.पी. नीति पर पुनर्विचार करें। आदेश की एक कॉपी रिव्यू के लिए रेल मंत्रालय और डी.पी.ई. को फॉरवर्ड की गई। आर.वी.एन.एल. के पूर्व निदेशक (वित्त) के संदर्भ में, जिन्हें प्रतिवादी सरकारी सेवक-2 कहा गया है, बैंच ने टिप्पणी की कि कोई अग्रिम कार्रवाई अपेक्षित नहीं है क्योंकि सांठगांठ के आरोपों की पर्याप्त साक्ष्य आन रिकॉर्ड मौजूद नहीं है।